न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2032/2026

परिवाद काण्ड संख्या–1690/2024

रौशन कुमार, उम्र–18 वर्ष, पिता–राजकुमार यादव
निवासी–खरहरा, थाना–फतेहपुर, जिला–गया

————अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार ——— ————————————————————————————अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री रजनीश कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री नरेन्द्र गुप्ता

01.07.2026 आवेदक /अभियुक्त की ओर से परिवाद काण्ड संख्य–1690/2024 अन्तर्गत धारा– 85, 115(2), 329(4), 3(5) बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर आरोप है कि आवेदक पर आरोप है कि इन्होंने सूचिका के साथ मारपीट किया और कूरता की है। आवेदक का कहना है कि पति–पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ है, किन्तु वह अब उसे स–सम्मान से रखने के लिये तैयार है। जब कि पीड़िता रूपा कुमारी का कहना है कि मैं आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती हूं। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तद्वारा

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2032/2026</u>

निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है। रूपा कुमारी को आदेश दिया जाता है कि यदि वह आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती है तो परिवार न्यायालय में विवाह विच्छेद हेतु याचिका संस्थित करें।

लेखापित

Sd/-
I/c जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I,
गया